प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 04.11.2026

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा हत्या के प्रयास के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अवैध चाकू बरामद।

दिनांक 06.09.2026 को थाना लोनी बॉर्डर पर वादी द्वारा तहरीर दी गई कि अभियुक्त रूपेश द्वारा मेरी बडी बहन के साथ मारपीट, गाली गलौज व चाकू से वार करना जिसके संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी बॉर्डर पर तत्काल सुसंगत धारा- 115(2)/118 (1)/352 बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया व विवेचना व साक्ष्य संकलन के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 109(1)/351(3) बीएनएस की वृद्धि की गयी तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात दिनांक 03.11.2026 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त रूपेश पुत्र अजब सिंह निवासी पंचवटी कॉलोनी लोनी गाजियाबाद, उम्र करीब 30 वर्ष को गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त अवैध चाकू बरामद हुआ। बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा- 4/25 आर्म्स एक्ट की वृद्धि की गयी है। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ करने पर अभियुक्त ने बताया कि मेरा वादी से पैसों के लेन- देन को लेकर झगडा हुआ था जिसमें मैंने वादी की बडी बहन को चाकू मार दिया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

रूपेश पुत्र अजब सिंह निवासी पंचवटी कॉलोनी लोनी गाजियाबाद, उम्र करीब 30 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

घटना में प्रयुक्त 01 अवैध चाकू बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

थाना लोनी बॉर्डर पर उपरोक्त प्रकरण के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिररफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम।

कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा समस्त थानों पर 'वादी संवाद दिवस' आयोजित किया गया।

श्रीमान् पुलिस आयुक्त महोदय कमिश्नरेट गाजियाबाद के निर्देशन में जनता को त्वरित, पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण न्याय दिलाने के उद्देश्य से कमिश्नरेट गाजियाबाद में **वादी संवाद नीति** लागू की गई है, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक बुधवार को सभी थानों पर **वादी संवाद दिवस** आयोजित किया जाता है। जिसके क्रम में आज दिनांक **04.11.2026** दिन **बुधवार** को कमिश्नरेट गाजियाबाद के समस्त थानों पर पूर्व की तरह **वादी संवाद दिवस** आयोजित किया गया।

वादी संवाद दिवस का उद्देश्य वादियों और पुलिस के बीच सार्थक संवाद स्थापित कर पारदर्शिता, विश्वास एवं शीघ्र न्याय की प्रक्रिया को और अधिक सुदृढ़ करना है। जिसके क्रम में विवेचनाधीन अभियोगों (एफ0आई0आर0/एन0सी0आर0) तथा गुमशुदगी से सम्बन्धित वादी को थाने पर आमंत्रित कर सम्बन्धित विवेचकों के साथ संवाद स्थापित करते हुए विवेचना की वर्तमान स्थिति एवं प्रगति से अवगत कराते हुए वादियों के सभी प्रश्नों का उचित, तथ्यात्मक एवं संतोषजनक उत्तर देते हुए संतुष्ट किया गया।

आज दिनांक 04.11.2026 को आयोजित किये गए वादी संवाद दिवस का जोन वार विवरण निम्न प्रकार है-

क्र.सं.	**जोन**	**संवाद हेतु थानों पर उपस्थित आये वादियों की संख्या**
1.	नगर	48
2.	ट्रांस हिण्डन	51
3.	ग्रामीण	67
कुल कमिश्नरेट गाजियाबाद		**166**

श्रीमान् पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशन में **वादी संवाद दिवस** गाजियाबाद पुलिस की एक जन सरोकार आधारित पहल है इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक वादी को अपने प्रकरण की सही जानकारी समय पर मिले एवं उन्हें न्याय की प्रक्रिया पर विश्वास और संतोष प्राप्त हो। यह नई पहल पुलिस व जनता के बीच आपसी सहयोग एवं विश्वास को और अधिक मजबूत करेगी। कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा जनकेन्द्रित पुलिसिंग के दृष्टिगत भविष्य में भी इसी प्रकार के नवाचार जारी रहेंगे।

थाना टीलामोड पुलिस द्वारा अवैध हुक्का बार संचालित करने वाले 01 अभियुक्त व 01 अभियुक्ता गिरफ्तार, कब्जे से 04 हुक्का पाईप सहित व हुक्के में प्रयोग होने वाली सामग्री 02 पैकेट फ्लैवर्ड तम्बाकू, 01 प्लास्टिक के डिब्बे में फ्लैवर्ड तम्बाकू, 02 चिमटा, 01 कोइल गर्म करने वाला छोटा इलेक्ट्रिक हीटर बरामद ।

दिनांक 03.11.2026 को थाना टीलामोड़ पुलिस टीम को सूचना प्राप्त हुई कि 02-03 दिन से थाना टीला मोड क्षेत्र के भोपुरा तिराहा के पास एक किराये की इमारत के बेसमेन्ट में अवैध हुक्काबार का सचांलन किया जा रहा है। उक्त सूचना पर पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए अभियुक्त 1. अर्जुन पुत्र अशोक कुमार निवासी नंद नगरी थाना नन्द नगरी दिल्ली उम्र करीब 19 वर्ष व अभियुक्ता 2. नंदिनी पुत्री सुरेश निवासी नंद नगरी थाना नन्द नगरी दिल्ली उम्र करीब 26 वर्ष को थाना क्षेत्र टीलामोड से गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से 04 हुक्का पाईप सहित व हुक्के में प्रयोग होने वाली सामग्री 02 पैकेट फ्लैवर्ड तम्बाकू, 01 प्लास्टिक के डिब्बे में फ्लैवर्ड तम्बाकू, 02 चिमटा, 01 कोइल गर्म करने वाला छोटा इलेक्ट्रिक हीटर बरामद हुए। उक्त बरामदगी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना टीलामोड़ पर सुसंगत धारा 21/22 सिगरेट व अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम 2003 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तगण ने पूछताछ करने पर बताया कि हम भोपुरा तिराहा के पास एक किराये की इमारत के बेसमेन्ट में पिछले 02-03 दिन से चोरी छिपे अवैध हुक्काबार का संचालन कर लोगो को फ्लैवर्ड तम्बाकू उत्पादों का सेवन करा रहे थे। जिससे हमने काफी आर्थिक लाभ अर्जित किया ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता -

1.अर्जुन पुत्र अशोक कुमार निवासी नंद नगरी थाना नन्द नगरी दिल्ली उम्र करीब 19 वर्ष।
2. नंदिनी पुत्री सुरेश निवासी नंद नगरी थाना नन्द नगरी दिल्ली उम्र करीब 26 वर्ष।

बरामदगी का विवरण –

कब्जे से 04 हुक्का पाईप सहित व हुक्के में प्रयोग होने वाली सामग्री 02 पैकेट फ्लैवर्ड तम्बाकू, 01 प्लास्टिक के डिब्बे में फ्लैवर्ड तम्बाकू, 02 चिमटा, 01 कोइल गर्म करने वाला छोटा इलेक्ट्रिक हीटर बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग –

अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना टीलामोड़ पर उपरोक्त प्रकरण के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना टीलामोड़ पुलिस टीम।

थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा रंगदारी के अभियोग में प्रकाश में आया अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 03.11.2026 को थाना मुरादनगर पर वादिया द्वारा तहरीर दी गई कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादिया को बुलाकर डरा-धमकाकर रंगदारी मांगना जिसके सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मुरादनगर पर तत्काल सुसंगत धारा- 308(5) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 04.11.2026 को थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर उपरोक्त रंगदारी की घटना कारित करने वाला प्रकाश में आया वांछित अभियुक्त प्रियांशू त्यागी पुत्र सुनील त्यागी निवासी बसेडा थाना नागल जिला सहारनपुर हाल पता स्वर्ण जयन्तीपुरम थाना मधुबन बापूधाम गाजियाबाद, उम्र 21 वर्ष को मुरादनगर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मेरी वादिया से INSTAGRAM के माध्यम से बात हुयी थी। मैंने वादिया को दुहाई रैपिड स्टेशन पर कपडों के प्रचार-प्रसार व PROMOTION के लिये बुलाया था। उसके बाद मैंने वादिया को डरा-धमकाकर वादिया से 20,000 रूपये ले लिये थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

प्रियांशू त्यागी पुत्र सुनील त्यागी निवासी बसेडा थाना नागल जिला सहारनपुर हाल पता स्वर्ण जयन्तीपुरम थाना मधुबन बापूधाम गाजियाबाद, उम्र 21 वर्ष

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरूद्ध थाना मुरादनगर पर उपरोक्त घटना के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत हैं। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना मुरादनगर पुलिस टीम।